क्रम-संख्या 222 (क–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 25 सितम्बर, 2006

आश्विन 3, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

संख्या जी-2-1486/दस–2006-303-96

लखनऊ, दिनांक 25 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

**प्रकीर्ण**

**प०आ०–1310**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, फाईनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड–2, भाग–2 में दिये गये फण्डामेन्टल रूल्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

### उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

फण्डामेन्टल रूल 22 का संशोधन

2–फाईनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग–2 में, दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स में, नियम 22 में, उपनियम (क) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
|---|---|
| (दो) (क) जब नये पद पर नियुक्ति में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का ग्रहण करना अन्तर्वलित न हो, तब वह प्रारम्भिक वेतन, वेतन के समयमान में उस प्रक्रम पर जो उसके द्वारा नियमित रूप से | (दो) (क) जब नये पद पर नियुक्ति में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का ग्रहण करना अन्तर्वलित न हो, तब वह प्रारम्भिक वेतन, वेतन के समयमान में उस प्रक्रम पर जो उसके द्वारा नियमित रूप से |

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान उप नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
| धृत पुराने पद के सम्बन्ध में उसके वेतन के बराबर हो, या यदि ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो वह प्रारम्भिक वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धृत पुराने पद के सम्बन्ध में उसके वेतन के अगले प्रक्रम पर आहरित करेगा : | धृत पुराने पद के सम्बन्ध में उसके वेतन के बराबर हो, या यदि ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो वह प्रारम्भिक वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धृत पुराने पद के सम्बन्ध में उसके वेतन के अगले प्रक्रम पर आहरित करेगा : |
| प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नये पद के वेतन के समयमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धृत पद के सम्बन्ध में उसके वेतन से अधिक हो, तो वह प्रारम्भिक वेतन के रूप में वही न्यूनतम आहरित करेगा : | प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नये पद के वेतन के समयमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धृत पद के सम्बन्ध में उसके वेतन से अधिक हो, तो वह प्रारम्भिक वेतन के रूप में वही न्यूनतम आहरित करेगा : |
| प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में जहाँ वेतन उसी प्रक्रम पर निर्धारित होता है तो वह वही वेतन उस समय तक आहरित करता रहेगा जब तक कि उसे पुराने पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि प्राप्त न हो जाय, ऐसे मामलों में जहाँ वेतन उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होता है वह अपनी अगली वेतनवृद्धि उस अवधि को पूरा करने पर जब उसे नये पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि अर्जित हो जाय, पायेगा। | प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में जहाँ वेतन उसी प्रक्रम पर निर्धारित होता है तो वह वही वेतन उस समय तक आहरित करता रहेगा जब तक कि उसे पुराने पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि प्राप्त न हो जाय, ऐसे मामलों में जहाँ वेतन उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होता है वह अपनी अगली वेतनवृद्धि उस अवधि को पूरा करने पर जब उसे नये पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि अर्जित हो जाय, पायेगा। |
| (ख) निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के अतिरिक्त नये पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने पर सरकारी सेवक को ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयोग करने का अधिकार होगा कि वह नये पद पर वेतन निर्धारण के लिये अपना वेतन उस पद पर नियुक्ति की तिथि से या पुराने पद पर होने वाली वेतनवृद्धि की तिथि से निर्धारित करा लें। | (ख) निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के अतिरिक्त नये पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने पर सरकारी सेवक को ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयोग करने का अधिकार होगा कि वह नये पद पर वेतन निर्धारण के लिये अपना वेतन उस पद पर नियुक्ति की तिथि से या पुराने पद पर होने वाली वेतनवृद्धि की तिथि से निर्धारित करा लें। |
| | (ग) किसी पद के वेतन के विद्यमान समयमान वेतनमान की जगह उच्चतर समयमान वेतनमान रखे जाने के मामलें में पदधारक का उच्चतर समयमान वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन, ऊपर उपखण्ड (क) और (ख) में दी गयी यथाविहित रीति के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। |

आज्ञा से,
शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।